# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 19/ 20 वर्ष 2020

जीसीएमएस संख्याः– (2020/00158)

बउनवानीः–1. जगदीश पुत्र सत्यनारायण दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर नि0धनौली
2. श्रीमोहन पुत्र रूपनारायण गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
3. हरिमोहन पुत्र रूपनारायण गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
4. राधामोहन पुत्र सत्यनारायण गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
5. जगमोहन पुत्र सत्यनारायण गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. चिरंजी पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
2. कजोडी पत्नि हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
3. पप्पूलाल पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
4. रामसिंह पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम धनौली तह0 सवाईमाधोपुर
5. उपखण्ड अधिकारी(आवंटन अधिकारी) सवाईमाधोपुर
6. आवंटन कमेटी जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 3.7.1965 तहसीलदार सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 )

उपस्थितः– 1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थीगण

2. श्री बालकृष्ण उंपाध्याय वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 13.8.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 3.7.1965 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम धनौली तहसील सवाईमाधोपुर के स्थायी निवासी है एवं काश्तकार पेश व्यक्ति है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोती लाल के पिता नाम देवीलाल था जिसने आवंटन कमेटी को मुगालदा देकर व फ्रोड रचकर मोती पुत्र पांच्या के नाम से आवंटन कमेटी के समक्ष ख0न0 316 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में भूमि वाके ग्राम धनौली का आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो आवंटन रूल्स के खिलाफ पेश किया गया। ना तो प्रार्थना पत्र सत्यापित है ना ही प्रार्थना पत्र में संबंधित पटवारी की सही रिपोर्ट है जबकि सही तथ्य यह है कि विपक्षीगण के पिता/दादा मोतीलाल को उक्त आवंटन हो ही नही सकता था क्योकि इतनी जमीन मौके पर काश्त योग्य भूमि के रूप मे थी ही नही एवं गलत रूप से आवंटन कमेटी से तथ्य छिपाकर आवंटन लिया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि वरवक्त आवंटन मोतीलाल भूमिहीन व्यक्ति नही था बल्कि उसके पास मे अन्य जमीने थी जिसे उसने छुपाया है काननून आवंटन का पात्र ऐसा व्यक्ति नही होता है जिसके पास पूर्व से जमीन हो, ऐसी सूरत में भी मोतीलाल के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 316 के वर्तमान मे कई नम्बर बनाये गये इसी ख0न0 मे होकर धनौली से लेकर मैनपुरा तक जाने वाला रास्ता कदीम से मौके पर दर्ज है जिस रास्ते से होकर प्रार्थीगण व ग्राम धनौली [illegible] मैनपुरा आते जाते है एवं साधन ले जाते है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास व [illegible] काश्तकार लोगों के पास अपनी आराजीयात मे आने जाने का व धनौली से मैनपुरा आने जाने का अन्य [illegible] नही है । प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि उक्त रास्ते के दोनों तरफ है [illegible] खाता संख्या 121,405,[illegible] 425 के रूप में स्थित है जिन पर प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपने कृषि यंत्र इत्यादि ले जाते है तथा जानवर बांधने, फसल एकत्रित करने ,चारा फूस रखने के लिए कच्चे मकान बना रखे है जिनपर भी इसी रास्ते से जाते है उक्त आराजी से होकर जो रास्ता जा रहा है व सार्वजनिक है जिसके वर्तमान ख0न0 560 रकबा 0.43 है0 जिसको विपक्षीगणो की खातेदारी में दर्ज कर रखा है जबकि उक्त भूमि



(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सार्वजनिक उपयोग की रास्ते की भूमि होने के कारण विपक्षीगणों की खातेदारी में दर्ज नही हो सकती है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण उक्त नम्बर की हद तक उक्त आवंटन निरस्त करवाकर उक्त ख0न0 की भूमि को आम रास्ते के रूप मे रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। विपक्षीगण के पिता एव दादा ने आवंटन कमेटी के समक्ष गलत तथ्य रखकर फ्रोड व मिस रिप्रजेन्टेशन से आवंटन प्राप्त किया है। जो खारिज योग्य है। ख0न0 316 से बने हाल ख0न0 583 रका 0.01 है0 गै0मु0 चाह एवं 584 रकबा 0.13 है0 पर प्रार्थीगणों का पचासों वर्षो से कब्जा है चाह भी प्रार्थीगणों ने ही बनवाया है जिसपर प्रार्थीगणों ने अपने नाम से कृषि विधुत कनेक्शन ले रखा है। दिनांक 28.10.2020 को विपक्षीगण द्वारा ख0न0 590,583,584 की भूमि को अपने नाम दर्ज होने की बात कहने पर एवं प्रार्थीगणों को उक्त भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने पर आदेश जैर निगरानी की जानकारी हुई है। अतः जानकारी से निगरानी अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी सें संबंधित आराजीयात को लेकर प्रार्थी जगदीश द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है ओर सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र 14(4) पेश करने का कोई औचित्य नही रह जाता है। इसलिए भी आदेश जैर. निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के समय आवंटी मोती पुत्र पांच्या के खाते में 4.12 बीघा भूमि थी तथा उक्त आवंटन आदेश से 9 बिघा 9 बिस्वा भूमि आवंटन किया गया है इस प्रकार आवंटन के समय मोती भूमिहीन कृषक था कथन के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 पेश की गयी है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1759 दिनांक 16.12.2020 से विवादित भूमि की जॉच रिपोर्ट मंगवायी गयी है जिसमे स्पष्ट लिखा गया है कि हमारे द्वारा भूमि अदला बदली की गयी थी जिसके ख0न0 584 रकबा 0.13, 563 रकबा 0.13 है0, 583 रकबा 0.01, 590 रकबा 0.43 है0 मे से मुझ अप्रार्थी के ख0न0 583,584,590 है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 160 रकबा 1.07है0,ख0न0 162/2575 दर्ज रिकार्ड है। मुझ अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 160 रकबा 1.07 है0 मे से कुछ हिस्से तथा 162/2575 पर खेती करना बताया गया है इसी प्रकार प्रार्थी जगदीश मुझ अप्रार्थी के ख0न0 584,583,590 मे से 2/3 हिस्से पर हमारे बीच हुए अदला बदली के समझोते से खेती कर रहा है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आवंटन पत्रावली के अनुसार आदेश जैर निगरानी मे ऐसी कोई विधिक त्रुटि नही है जिसके आधार पर आवंटन खारिज किया जा सके। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिसके आधार पर अप्रार्थी के पूर्वज मोती को उक्त भूमि आवंटन के अयोग्य माना जा सके। जहॉ तक आवंटित भूमि के कुछ हिस्से पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने का प्रश्न है तो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार भूमि अदला बदली की गयी है। इसलिए उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो सकता है चूंकिं आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे के आधार पर आवंटन खाारिज नही किया जा सकता है। आवंटित भूमि को लेकर स्वंय प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे वाद पेश कर रखा है जिसमे पक्षकारान के अधिकार तय होने है। इस प्रकार अप्रार्थी के पूर्वज के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। [illegible] सुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्या[illegible] मे सुनाया गया।

( काना राम )
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner